



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180538

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30408 / 2026

संजीव विश्वकर्मा और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

विजित सक्सेना, विनीता

यादव

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान वाद धारक श्री नागेंद्र कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 449/2026, धारा 105, 191(2), 115(2), 352 भारतीय न्याय संहिता, पुलिस थाना- कोतवाली, जिला- ललितपुर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, नामजद आरोपियों ने पांच से छह अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनादाता के बेटे और नंद किशोर पर हमला किया था। सूचनादाता के बेटे की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। घायल चश्मदीद गवाह नंद किशोर ने अपने बयान में अपीलार्थी का नाम नहीं लिया। अपीलार्थी के नाम बाद में गवाहों रणजीत और रघुराज सिंह के बयानों में सामने आए। यह तर्क दिया गया है कि कथित दो गवाह रणजीत और रघुराज सिंह घटना के चश्मदीद गवाह नहीं थे। ललितपुर स्थित मान्यावर कांशीराम संयुक्त अस्पताल की दिनांक 21.4.2026 की चिकित्सा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि चिकित्सा परीक्षण के समय मृतक नशे की हालत में पाया गया था। पक्षों के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। गवाहों रणजीत और रघुराज के बयान बाद में दिए गए हैं और अविश्वसनीय हैं। अपीलार्थी पर अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। अपीलार्थी को न तो अपेक्षित ज्ञान था और न ही कथित अपराध करने का कोई इरादा था। इस स्तर पर, अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपीलार्थी 27.4.2026 से जेल में हैं और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. राज्य के विद्वान वाद धारक ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त दलीलों का संतोषजनक खंडन नहीं कर सके।

5. पक्षकारों के अधिवक्तागण की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपीलार्थी का नाम नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, नामजद आरोपियों ने पांच से छह अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचनादाता के पुत्र और नंद किशोर पर हमला किया था। घायल चश्मदीद गवाह नंद किशोर ने अपने बयान में अपीलार्थी का नाम नहीं लिया। बाद में रणजीत और रघुराज सिंह नामक गवाहों के बयानों में अपीलार्थी के नाम सामने आए। अपीलार्थी के विरुद्ध अस्पष्ट और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। इस स्तर पर, अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा, अपीलार्थी वर्तमान में चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई उम्मीद नहीं है, खासकर तब जब राज्य द्वारा ऐसा कोई उचित संदेह सामने नहीं लाया गया है कि यदि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे या गवाह को डराएंगे। मामले की गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

6. उपरोक्त मामले में शामिल अपीलार्थी, **संजीव विश्वकर्मा** और **निकेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:

i. अपीलार्थी अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. अपीलार्थी अभियोजन गवाह पर दबाव नहीं डालेंगे;

iii. अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होंगे।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

एसएस